कार्यालय जनपद न्यायाधीश सुलतानपुर।

निविदा सूचना

जनपद न्यायालय सुलतानपुर मे वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए ठेका साईकिल स्टैण्ड हेतु सीलबन्द निविदा निर्धारित फार्म पर दिनांक 14.08.2018 को एक बजे दिन तक आमंत्रित की जाती है निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्राप्त निविदायें दिनांक 14.08.2018 को सांय 4.30 बजे नजारत अनुभाग में जनपद न्यायालय सुलतानपुर में नीलामी समिति के समक्ष खोली जायेगी । निविदा के साथ साईकिल स्टैण्ड के लिए प्रतिभू धनराशि रूपया 10850/– नकद जमा करना अनिवार्य होगा जो निविदायें स्वीकृत नहीं होगी उनकी प्रतिभू धनराशि उसी दिन या अगले कार्य दिवस पर निविदाकर्ता को वापस कर दी जायेगी। निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकारी जनपद न्यायाधीश सुलतानपुर को है ।

निविदा फार्म, निविदा के नियम व शर्तें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आफिसियल वेबसाइड www. allahabadhighcourt. in एवं जनपद न्यायालय सुलतानपुर की आफिसियल वेबसाइड https://districts.ecourts.gov.in/sultanpur पर उपलब्ध है तथा निविदा फार्म नजारत अनुभाग जनपद न्यायालय सुलतानपुर में भी उपलब्ध है।

(राम पाल सिंह),
अध्यक्ष नीलामी समिति/
अपर जिला जज,
सुलतानपुर।

दिनांकः–04.08.2018

कार्यालय जनपद न्यायाधीश सुलतानपुर।

ठेका साईकिल स्टैण्ड वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु निविदा के शर्तें

1. निविदा स्वीकृत किये जाने की दशा में निविदा कर्ता को निविदा में अंकित ठेके की धनराशि का 1/3 धनराशि तत्काल जमा करना होगा, शेष धनराशि 2 समान किश्तों में माह नवम्बर, 2018 एवं फरवरी 2019 में जमा करना अनिवार्य होगा।

2. निविदा कर्ता को ठेका साईकिल स्टैण्ड हेतु प्रतिभू धनराशि 10850/– (रूपया दस हजार आठ सौ पचास मात्र) नकद जमा करना होगा।

4. स्वीकृत निविदा कर्ता को नगरपालिका परिषद एवं जिला परिषद सुलतानपुर को देय समस्त कर स्वंय वहन करना होगा।

5. स्वीकृत निविदा कर्ता को निविदा स्वीकृत होने के 07 दिन के अन्दर अनुबन्ध करना होगा जिसका सम्पूर्ण व्यय निविदा कर्ता का होगा।

6. जनपद न्यायाधीश सुलतानपुर को यह अधिकारी है कि वह निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकते हैं ।

7. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद न्यायालय सुलतानपुर का होगा।

(राम पाल सिंह),
अध्यक्ष नीलामी समिति/
अपर जिला जज,
सुलतानपुर।

दिनांकः–04.08.2018